

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय गोड्डा

आर० ई० आर वाद संख्या 18/2015.16

परमेश्वर चौड़े—आवेदक

वनाम

अरुण गुप्ता वगैरह—प्रतिवादी

—आदेश:—

10/12/2022

अभिलेख उपस्थापित।

वर्तमान प्रक्रिया परमेश्वर चौड़े पेशरान स्व० कान्हू चौड़े साकिन अमरपुर प्रेम टोला थाना गोड्डा जिला गोड्डा ने विपक्षी अरुण गुप्ता सुनील गुप्ता पेशरान सिंगधासन राम गुप्ता साकिन जमुआ को मौजा अमरपुर के जमावंदी न० 67 दाग न० 116 रकवा 01-03-13 धूर से उच्छेद के लिए लाया गया है।

वर्तमान प्रक्रिया के दौरान अंचल अधिकारी गोड्डा से प्रश्नगत जमीन के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी गोड्डा के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रश्नगत जमीन के संबंध में अंचल अधिकारी गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन दाग न० 116 जमावंदी न० 67 मौजा अमरपुर थाना न० 534 रकवा 01-03-13 धूर किस्म धानी सोयम गत गेंजर सर्वे खतियान में जमावंदी रैयत डुगरू चौड़े वगैरह के नाम से दर्ज है परन्तु प्रश्नगत जमीन श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय का आर० ई० वाद संख्या 428/19.39.40 के द्वारा सामुवेल हॉसदा को भूमि उच्छेदी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसपर सामुवेल हॉसदा की मृत्यु के पश्चात उनके वंशज अरुण हॉसदा वो रवि हॉसदा पिता सुप्रभा हॉसदा शांति पूर्ण दखल कार है।

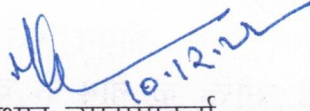
अंचल अधिकारी गोड्डा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आर० ई० आर० वाद संख्या 428/19.39.40 के आलोक में परमेश्वर चौड़े का दावा गलत प्रतित होता है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नगत जमीन के वन्दोवस्त दार सामुवेल हॉसदा के उपरोक्त वंशज अरुण हॉसदा वो रवि हॉसदा पे० सुप्रभा हॉसदा साकिन अमरपुर थाना गोड्डा को नोटिस निर्गत किया गया नोटिस के आलोक में रवि हॉसदा उपस्थित होकर संबंधित आर० ई० आर० वाद सं० 428/19.39.40 का छाया प्रति प्रस्तुत किया एवं कहा कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वज सामुवेल हॉसदा को उच्छेदी में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा का न्यायालय के आर० ई० आर वाद सं० 428/19.39.40 से प्राप्त हुआ था, जिसपर उनका

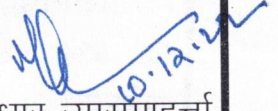
शांति पूर्ण दखल कब्जा है, प्रस्तुत वाद मे प्रक्रिया के दौरान दिनांक 12.01.2013 को आवेदक परमेश्वर चौड़े के द्वारा आवेदन दिया गया एवं अनुरोध किया गया कि इस वाद को तथ्य के भूल के कारण लाया है, प्रश्नगत जमीन को उच्छेदी में सामुवेल हॉसद को श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा वन्दोवस्त किया गया है, जिसपर रवि हॉसदा का उसके पूर्वजों के समय से दखल चला आ रहा है। अतः वाद लड़ना नहीं चाहते है, उक्त वाद में विपक्षी अरुण गुप्ता एवं सुनील गुप्ता उपस्थित नहीं है, आवेदक लगातार अनुपस्थित रह रहे है। आवेदक के आवेदन दिनांक 12.01.2013 वाद वापसी का आवेदन एवं अंचल अधिकारी गोड्डा का प्रतिवेदन पत्रांक 1554/रा0 दिनांक 17-10-2016 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदक परमेश्वर चौड़े का दावा गलत है।

उक्त प्रश्नगत जमीन आर0 ई0 आर0 वाद सं0 428/19.39.40 के द्वारा उच्छेदी में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय के द्वारा सामुवेल हॉसद को वन्दोवस्त किया गया है। जिस पर उनके वंशजों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है।

अतः प्रश्नगत जमीन से आवेदक का आवेदन पुष्यनी नहीं है। आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गोड्डा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गोड्डा।